# सार्वजनिक सूचना

## कृप्या ध्यान दें

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ट्यूबवेल/बोरवेल के मालिक/उपयोगकर्ता

- दिल्ली में बिना अनुमति के बोरवेल/ट्यूबवेल लगाना गैर कानूनी है।
- बोरवेल/ट्यूबवेल चलाने वालों को कानून के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है।
- यदि आप गैर कानूनी बोरवेल/ट्यूबवेल चला रहे हैं, तो सरकार की **स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना** के तहत अपने बोरवेल/ट्यूबवेल के विषय में 31 मार्च 2015 तक दिल्ली जल बोर्ड को संपूर्ण सूचना दें।
- आवेदन प्रपत्र दिल्ली जल बोर्ड की बेबसाइट (www.delhijalboard.nic.in) एवं पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की वेबसाइट (www.environment.delhigovt.nic.in) पर उपलब्ध है।
- आवेदन की तीन प्रतियां तैयार कर, ई.ई. (जी.डब्ल्यू.सी./आर.डब्ल्यू.एच.), दिल्ली जल बोर्ड, कक्ष संख्या 11, वरूणालय, फेज–I, झण्डेवालन, नई दिल्ली, दूरभाष संख्या 011–23558264 के कार्यालय में जमा कराएं।
- सूचना देने के लिए किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
- इस सूचना के नहीं देने पर, बोरवेल/ट्यूबवेल का प्रयोग करने वालों पर उचित एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- दिल्ली में भूमिगत जल का स्तर घट रहा है, आइए इसे भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करें।

————————————————————जनहित में जारी————————————————————

## पर्यावरण एवं वन विभाग

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार